नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 40/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	10/11/17	वकील उभय पक्ष उप० । तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। बाद बंटवारा रिपोर्ट अवलोकन हेतु वकील उभय पक्ष ने अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 20/11/17 को पेश हो। (रवि विजय) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	
	20/11/17	वादी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली बाद आदेश की पालना में दिनांक 8/12/17 को पेश हो।	
	8/12/17	वादी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. साहब टूर पर हैं। पत्रावली बाद आदेश की पालना में दिनांक 11/12/17 को पेश हो। ... हैं। पत्रावली बाद आदेश की पालना में दिनांक .... को पेश हो।	
	11/12/17	वकील उभयपक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। P.O. साहब अन्य कार्य में हैं। पत्रावली बाद आदेश की पालना में दिनांक 21/12/17 को पेश हो।	
	21/12/17	वादी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली बाद आदेश की पालना में दिनांक 4-1-18 को पेश हो।	
	4/1/18	वकील उभय पक्ष उप। वकील उभय पक्ष को बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं है। बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। अतः दावा बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी- शाहपुरा जिला - जयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री रवि विजय (आर.ए.एस)
राजस्व वाद सं. 115/2007 पुनः दर्ज 40/2016

उनवान

(1) शंकरलाल पुत्र भौरीलाल दत्तक पुत्र रामप्रसाद जाति- ब्रा
निवासी- धापुड़ा कलां तहसील शाहपुरा जिला- जयपुर

बनाम वादी

(1) दुर्गाप्रसाद पुत्र जगन्नाथ] जाति- ब्राह्मण निवासी- धापुड़ा
(2) रामवल्लभ पुत्र भौरीलाल]
(3) भरतदास पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी लाडा का
तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
(4) उगाती देवी पत्नी स्व: प्रेमदास- स्वामी निवासी धापुड़ा क
4/1 सेडूराम]
4/2 रामेश्वर] पुत्रान प्रेमदास
4/3 हनुमान]
4/4 बोदूराम]
4/5 जडाव पुत्री प्रेमदास पत्नी भरतदास स्वामी
4/6 ग्यारसी पुत्री प्रेमदास पत्नी हनुमानदास स्वामी
समस्त जाति- स्वामी निवासी लाडा का बास तह. विराटनगर (ज
(5) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा जयपुर

दावा बाबत बटवारा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 4/1/2018

दावा वादी संक्षेप मे इस प्रकार है कि खाता आ. ख
2/0.40, 10/0.37, 11/0.34, 1508/0.33, 1509/0.32, 1510/0.04, 15
1520/0.04, 1521/0.52, 1567/0.75 हैक्टे. कुल किता 10 रकबा 3-
तहत खाता सं. 280 वाके ग्राम धापुड़ा कलां तह. शाहपुरा की
राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादी सं. 2 के नाम 1/2 भाग
अकेले के नाम अलग से 1/6 भाग एव प्रतिवादी सं. 1 के नाम
दर्ज है। खाता ख. नं. 32/0.53, 952/0.11, 972/0.16, 976/0.0
1519/0.17, 1569/0.11 कुल किता 7 रकबा 1-35 हैक्टे. खाता सं.
ग्राम धापुड़ा कलां तहसील शाहपुरा की खातेदारी राजस्व रि
1/3 भाग वादी के नाम एव 2/3 भाग प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज
उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2 रा
रिकार्ड मे दर्ज अपने- अपने हिस्से अनुसार शामील मे ही
काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। जिसका आज त
बाजाब्ता व कानूनी बटवारा नही हुआ है। वादी ने
की आय से कुवे का निर्माण कराया है जिसमे वादी के नाम
विद्युत कनेक्शन चालू है जिसमे प्रतिवादी

होने का फायदा उठाकर बिना बटवारा कराये बदनियती से आराजी मुतनाजा मे अपने हिस्से मे दर्ज भूमि ख०-न०1508,1 1510,1514,1520,1521,1567,के हिस्सा 1/3 भाग की भूमि कु बिजली कनेक्शन सहित का बेचान दिनांक 21-6-2007 को प्रतिवादी स०3 को, ख०-न०1561,1519,1569 मे 2/3 भाग की भूमि का बेचान प्रतिवादी स०3 को एवं ख०-न०976 मे से 2/3 भाग कि भूमि का बेचान प्रतिवादी स०4 को कर दिया, जबकि प्रतिवादी 1 को बिना बटवारा कराये भूमि का बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही रहा है। प्रतिवादी स०1 द्वारा प्रतिवादी स०3,4,के बेचान के आधार पर खाता खुलवा कर विशिष्ट पर कब्जा करने को आमादा है। इसलिए प्रस्तुत वाद पत्र कर आवश्यक हुआ है। अन्त मे निवेदन किया है कि वर्णित आ का वादी व प्रतिवादी स०1,2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार कानूनी बटवारा किया जाकर लगान का निर्धारण किया जावे। रिकार्ड मे अमल दरामद कराया जा कि वेवादी के हिस्से व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बा कारित नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी स०1,3 व 4 की ओर जरिए अधिवक्ता दिनांक 4-12-2007 को जवाब दावा पेश क निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी स०1 ने प्रतिवादी स०3,4 विधिक रूप से आराजी मुतनाजा का अन्तरण कर उपपंजीय शाहपुरा के यहा रजिस्टर्ड अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाई है जिसके अनुरूप प्रतिवादी स०3,4 को अपने हक मे जरिए नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने का पूर्ण अधि प्राप्त है। प्रतिवादी स०3 व 4 आराजी मुतनाजा के प्रतिवादी 1 के हिस्से की भूमि के सद्‌भावी क्रेता है जो विधिक रू से सहखातेदार काश्तकार है। उन्हे अपने सह खातेदारी अधिकारो के अन्तर्गत आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त का अधिकार प्राप्त है। दिनांक 7-6-2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मे दावा प्रारम्भिक डिक्री किया गया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा

मौकाबतौको अवलोकन किया गया खातेदार दुर्गाप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति-ब्राह्मण निवासी हापुड़ा कला तह-शाहपुरा ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 2/6/2007 को आ-ख-न-1508/0-33, 1509/0.32, 1510/0-04, 1514/0-03, 1520/0-04, 1521/0-52, 1567/0-75, कुल किता 7 रकबा 2-03 हे- मे अपना हिस्सा 1/3 तथा ख- न- 1511/0-19, 1519/0-17, 1569/0.17 किता 3 रकबा 0-47 हेक्टर मे अपना हिस्सा 2/3 भाग प्रतिवादी स-3 भरतदास पुत्र अर्जुनदास स्वामी के नाम व 976/0-08 मे हिस्सा 2/3, 989/0-13 सम्पूर्ण प्रतिवादी स-4, प्रभाती देवी पत्नी प्रेमदास स्वामी के नाम बेचान कर दिया है जिसका अभी राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हुआ है जो रजिस्टर्ड विक्रयपत्रो के अनुसार क्रय की गई भूमि के अनुसार खातेदार हो गये है। विक्रेता द्वारा वर्णित भूमि मे विक्रय किए गए हिस्से की भूमि से विक्रेता का कोई सम्बन्ध नही रहा है। उसके हिस्से की भूमि के अब क्रेता प्रतिवादी स-3, 4 खातेदार हो गये है। आ-ख-न- 1508, 1509, 1510, 1514, 1520, 1521, 1567 किता 7 रकबा 2-03 हे- मे हिस्सा 1/3 आ-ख-न-1511, 1519, 1569 किता 3 रकबा 0-47 हे- मे हिस्सा 2/3 भाग का प्रतिवादी स-3 भरतदास पुत्र अर्जुनदास स्वामी निवासी लाडा का बास तह- कोटपूतली व आ-ख-न- 989/0-13 सम्पूर्ण 976/0-08 हे- मे से हिस्सा 2/3 भाग का प्रतिवादी स-4 प्रभाती देवी पत्नी प्रेमदास-स्वामी निवासी हापुड़ा कलां की मृत्यु होने पर उनके वारिसान 4/1 से 4/6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त आराजीयात मे से खातेदार दुर्गाप्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रति- स-1 का नाम हटाया किया जाता है। मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ-ख-न- 2, 10, 11, 32, 952, 972 का उल्लेख नही है तथा हाल जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड मे उक्त ख-न- पक्षकारान के नाम नही होकर अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। वकील उभयपक्षकार ने बटवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही की है।

अतः दावा बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है आ-ख-न- 1508/0-33, 1509/0-32, 1510/0-04, 1514/0-03, 1520/0-04, 1521/0-52, 1567/0-75, 976/0-08, 1511/0-19, 1519/0-17, 1569/0-11, 989/0-13 कुल किता 12 रकबा 2-71 हे- वाके ग्राम हापुड़ा कलां तह- शाहपुरा जयपुर के सह खातेदारान के मध्य निम्न बटवारा किया जाता है उन्हे पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

(1) भरतदास पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी लाडा का बास तह- कोटपूतली के ख-न- 1508/1 /0-11, 1509/2 /0-11, 1510/0-04, 1521/2 /0-17, 1567/2 /0-25, 1569/0-07, 1511/2 /0-13, 1519/2 /0-11 कुल किता 8 रकबा 0-99 हे- भूमि बटवारे मे रहेगी।

(2) प्रभाती देवी पत्नी प्रेमदास की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं० 4 ता से 4 16 के बटवारे में आ-ख-नं० $\frac{976}{1}$/0-0550, 989/0-01 कुल किता 2 रकबा 0-185 हे० रहेगा।

(3) झाँवरलाल दत्तक पुत्र रामप्रसाद कौम ब्राह्मण के बटवारे में आ-ख-नं० $\frac{1508}{2}$/0-22, $\frac{1509}{1}$/0-21, 1514/0-03, 1520/0-04, $\frac{1521}{1}$/0-35, $\frac{1567}{1}$/0-50, $\frac{1511}{1}$/0-06, $\frac{1519}{1}$/0-06, $\frac{1569}{2}$/0-04, $\frac{976}{2}$/0-0250 कुल किता 10 रकबा 1-5350 हे० रहेगा।

रिपोर्ट बटवारा व नक्शा हैस निर्णय का जुज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण व वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह बटवारा रिपोर्ट के अनुसार एक दूसरे के काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करे। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

[illegible] नम्बर :- 115/2007 पुनः दर्ज 50/2016
[illegible] अधिकारी :- श्री रवि विजय

उनवान

[illegible]लाल पुत्र गौरीलाल स्वर्गीय पुत्र रामप्रसाद जाति-ब्राह्मण
निवासी-दांतपुरा कलां तहसील शाहपुरा जयपुर

वादी

बनाम

[illegible]प्रसाद पुत्र जगन्नाथ
[illegible] पुत्र गौरीलाल } जाति- ब्राह्मण निवासी- दांतपुरा कलां
[illegible]दास पुत्र अर्जुनदास-जाति-स्वामी निवासी लाडा का बास तह- कोटपूतली-जयपुर
[illegible] देवी पत्नी स्व. प्रेमदास-स्वामी निवासी दांतपुरा कलां (फौत)
[illegible], 4/2 रामेश्वर, 4/3 हनुमान, 4/4 बोदूराम पुत्रान प्रेमदास
[illegible], 4/6 रमारसी पुत्रीयान प्रेमदास - } समस्त जाति-स्वामी निवासी-लाडा का बास विराटनगर
[illegible] राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा- जयपुर

दावा बाबत- बटवारा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 4-1-2018

दावा बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है आ.ख.नं. [illegible]/0-33, 1509/0-32, 1510/0-04, 1514/0-03, 1520/0-04, 1521/0-52, 1567/0-75, 976/0-08, [illegible]/0-19, 1519/0-17, 1569/0-11, 989/0-13 कुल 12 रकबा 2-71 हे. बाके ग्राम दांतपुरा कलां [illegible]पुरा जयपुर के सहखातेदारान के मध्य निम्न बटवारा किया जाता है उन्हें पृथक [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है
[illegible]दास पुत्र अर्जुनदास जाति-स्वामी निवासी लाडा का बास तह- कोटपूतली [illegible] के ख.नं. 1508/1/0-11, 1509/2/0-11, 1510/0-04, 1521/2/0-17, 1567/2/0-25, 1569/ [illegible]-07, 1511/2/0-13, 1519/2/0-11 कुल किता 8 रकबा 0-99 हे. भूमि बटवारे में रहेगी।
[illegible] देवी पत्नी प्रेमदास की मृत्यु होने से उनके वैधिक वारिसान प्रति सं. 4/1 से 4/6 [illegible] बटवारे में आ.ख.नं. 976/1/0-0550, 989/0-013, कुल किता 2 रकबा 0-1850 हे. रहेगा।
[illegible]लाल स्वर्गीय पुत्र रामप्रसाद कौम ब्राह्मण के बटवारे में आ.ख.नं. 1508/2/0-22, 1509/1/0-21, 1514/0-03, 1520/0-04, 1521/1/0-35, 1567/1/0-50, 1511/1/0-06, 1519/1/ [illegible]-06, 1569/2/0-04, 976/2/0-0250 कुल किता 10 रकबा 1-5350 हे. रहेगा।
रिपोर्ट बटवारा व नक्शा इस निर्णय का जुज रहेगा। तदनुसार [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण व वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

P.T.O.

(रवि विजय)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
[illegible]	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प [illegible]	